

an>

Title: Presentation of the 22nd and 23rd Reports of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद): अध्यक्ष महोदया, मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति (2018-19) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:-

- (1) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) से संबंधित “अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास में विश्वविद्यालयों, तकनीकी, चिकित्सा और अभियांत्रिकी संस्थाओं सहित शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका-दिल्ली विश्वविद्यालय में आरक्षण नीति का कार्यान्वयन” विषय पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के पांचवें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों के बारे में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 22वां प्रतिवेदन।
- (2) रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग) से संबंधित “आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और नियोजन” विषय पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के 31वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों के बारे में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 23वां प्रतिवेदन।